

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

वंदना दादेल,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक,  
अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- / /2026 ई०।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत न्यायिक कार्यों के सम्पादन हेतु अभियोजन पदाधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु रु० 1,37,00,000/- (एक करोड़ सैंतीस लाख रूपये) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-514, दिनांक 06.03.2026 द्वारा राज्य स्कीम अंतर्गत न्यायिक कार्यों के सम्पादन हेतु अभियोजन पदाधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु रु० 1,37,00,000/- (एक करोड़ सैंतीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में न्यायिक कार्यों के सम्पादन हेतु अभियोजन पदाधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु रु० 1,37,00,000/- (एक करोड़ सैंतीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

3. उक्त व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजटशीर्ष "4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-74-अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/सुदृढीकरण -03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री, विपत्र कोड-22S40550020774000323 के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायगा।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची या संबंधित कोषागार, झारखण्ड से की जायगी। निदेशालय में पदस्थापित अभियोजन पदाधिकारियों हेतु Laptop अभियोजन निदेशालय के स्तर से GeM Portal के माध्यम से क्रय किया जाएगा।

5. जिलों में पदस्थापित अभियोजन पदाधिकारियों हेतु राशि का उप आवंटन निदेशक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा जिलों के उपायुक्त को किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा GeM Portal के माध्यम से Laptop का क्रय कर संबंधित जिले में पदस्थापित अर्हता प्राप्त अभियोजन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. निदेशक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विषयांकित योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे राशि के निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हों ले कि जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है तथा इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गयी है। किसी प्रकार का अवैध निकासी का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

8. विषयांकित योजना के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी निदेशक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

10. योजना का कार्यान्वयन में PWD Code, वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम का अक्षरशः पालन किया जायगा। Tax (IT/VAT/Service Tax/Royalty) इत्यादि At Source /स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप Settle किया जायगा।

11. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जायेगा।

12. निदेशक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी योजनाओं का कार्यान्वयन ससमय पूर्ण कराते हुए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

13. योजना का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वित्त विभाग को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायगा।

विश्वासभाजन,


ह०/-  
(वंदना दादेल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 03/अभि०(रा०यो०)/601/2021 ...../ राँची, दिनांक- / /2026 ई०।  
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 03/अभि०(रा०यो०)/601/2021 161...../ राँची, दिनांक- 13/03/2026 ई०।  
प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13.3.26  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/A(RY)/601/21/161

दिनांक - 13-Mar-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 40550020774000323 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 - राज्य पुलिस 74 - अभियोजन निदेशलय /कार्यालय का निर्माण /सुदृढीकरण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	107792	PRJPOL080 ANAND KUMAR LAKRA DY.DIR.PROCECUTIO N DIRECTORATE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	13,700,000.00 रुपये एक करोड सैतीस लाख
State Scheme :	CONSTRUCTION OF PROSECUTION DIRECTORATE BUILDING AT RANCHI & DIFFERENT DISTRICT			
Central Scheme :	AND SUB DIVISIONAL PROSECUTION OFFICES ALONG WITH NECESSARY FURNITURE & FIXTURES AND RELEVANT UPDATED LAW BOOKS ETC(1123)			



योग: रुपये एक करोड सैतीस लाख  
क्रमिक योग:

13.3.26  
(VARIDANA DADEL)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

13,700,000.00